

**राजस्थान - सरकार**  
**कार्यालय जिला कलक्टर भीलवाडा**

क्रमांक: न्यायालय / न्यायिक स्टाम्प रिफण्ड / 2019 / 6707

दिनांक- 18-6-2019

**:: आदेश ::**

संजय सेन पुत्र श्यामलाल सेन निवासी पुर भीलवाडा ने दिनांक 08.05.2019 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि चालान सं. 0027184897 जमा दिनांक 28.12.2018 से कुल रूपये 2940/- रूपये गलत कोड के कारण उपयोग में नहीं आ सके। उक्त चालान का प्रार्थी द्वारा उपयोग नहीं किया गया। ई चालान द्वारा जमा राशि बाद कटौती कमीशन, राशि रिफण्ड कराना चाहता है।


प्रार्थी के द्वारा राशि रिफण्ड के संबंध में सत्यापन रिपोर्ट कोषाधिकारी भीलवाडा को लिखा गया। कोषाधिकारी भीलवाडा ने उनके पत्र क्रमांक कोष/स्टाम्प/2019-20/45 दिनांक 22.05.2019 से ई स्टाम्पिंग चालान रूपये 2940/- का सत्यापन कर रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं। शासन उप सचिव वित्त (राजस्व) राजस्थान सरकार जयपुर के आदेश क्रमांक प.2(32)वित्त/कर / 2006 / दिनांक 07.03.2007 के अन्तर्गत कोर्ट फीस स्टाम्प रिफण्ड में 6.25 प्रतिशत की दर से कटौती करने का प्रावधान किया हैं। राजस्थान कोर्ट फीस एवं सूट वेल्यूशन नियम 1961 के नियम 27 के अन्तर्गत प्रार्थी संजय सेन पुत्र श्यामलाल सेन निवासी पुर को क्रय सुदा स्टाम्प 2940/- रु. राशि में से 6.25 प्रतिशत राशि रूपये 184/- की कटौती की जाकर रूपये 2,756/- अक्षरे दौ हजार सात सौ छप्पन रूपये रिफण्ड किए जाने के स्वीकृती प्रदान की जाती हैं।

0030 - स्टाम्प और पंजीकरण

01 - स्टाम्प और अदालती


102 - स्टाम्पों की बिक्री

90- घटाइए वापसियों

  
जिला कलक्टर  
भीलवाडा

**प्रतिलिपि**

- 1 प्रभारी अधिकारी लेखा अनुभाग कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि वादी को उपरोक्तानुसार राशि का भुगतान करने की कार्यवाही करें।
- 2 कोषाधिकारी भीलवाडा को प्रेषित कर लेख हैं कि वादी द्वारा स्टाम्प की जमा राशि के चालान की प्रति चाहे जाने पर उपलब्ध करावें।
- 3 संजय सेन पुत्र श्यामलाल सेन निवासी पुर भीलवाडा को प्रेषित कर लेख है कि जमा राशी चालान की फोटोप्रति, बैंक खाता नम्बर, पैन नम्बर, आधार नम्बर की फोटोप्रति एवं मोबाईल नं. लेखा शाखा में प्रस्तुत करें।

  
प्रभारी अधिकारी  
न्यायालय अनुभाग